भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1099

गुरूवार, 15 दिसम्बर, **202**2/24 अग्रहायण, **194**4 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारतीय हिमालय क्षेत्र में पर्यटन

1099. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) इस क्षेत्र में पर्यटकों के कारण प्रतिवर्ष कितना ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए उचित पर्यटक क्षमता को बनाए रखने के साथ-साथ संधारणीय और विनियमित पर्यटन मानक स्थापित करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी.बी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई) जोकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफसीसी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, ने केदारनाथ घाटी में शमन उपायों सहित आपात जोखिम मूल्यांकन, स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अतिसंवेदनशीलता पर कुछ अध्ययन किए हैं। इसी प्रकार, अपशिष्ट उत्पादन, अपशिष्ट संघटन और माइक्रोबियल बायो-कंपोस्टिंग तकनीक के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब और पिंडारी घाटी में अध्ययन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग (कार्य समूह II) ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थायी पर्यटन पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा का डाटा नहीं रखता है। तथापि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) 2019 के अनुसार भारतीय हिमालय क्षेत्र लगभग 1.905 मैट्रिक टन/वर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है।

(ग) और (घ): भारतीय हिमालय क्षेत्र सहित देशभर में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन के लिए भारत को एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय

ने स्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है। कार्यनीति संबंधी दस्तावेज़ में स्थायी पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तंभों को चिह्नित किया गया हैः

1. पर्यावरणीय स्थिरता का संवर्धन
2. जैव विविधता का संरक्षण
3. आर्थिक स्थिरता का संवर्धन
4. सामाजिक – सांस्कृतिक स्थिरता का संवर्धन
5. स्थायी पर्यटन के प्रमाणन के लिए योजना
6. आईईसी और क्षमता विकास
7. शासन

सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्थायी पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें चिह्नित केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उद्योग हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह बोर्ड देश में स्थायी पर्यटन और ईको-पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न कार्यनीतिक पहलों के प्रचालन और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करेगा:

(i) विस्तृत कार्य योजना और समर्पित योजनाओं का निर्माण
(ii) प्रमाणन योजना
(iii) क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय और वैश्विक सर्वोत्कृष्ट कार्य पद्धतियों को अपनाना
(iv) विपणन और संवर्धन
(v) निजी क्षेत्र की सहभागिता
(vi) गंतव्य और उत्पाद विकास
(vii) स्थायी और ईको पर्यटन के लिए विशेष कार्यनीति
(viii) स्थायी और ईको-पर्यटन में वृद्धि के लिए कोई अन्य उपाय

पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितम्बर, **2021** को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और भारतीय स्थायी पर्यटन सोसाइटी (आरटीएसओई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में 'स्थायी पहलों' को सक्रीय रूप से प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए उपाय करना और जहाँ भी सम्भव हो सहयोगपूर्ण तरीके से कार्य करना है।

पर्यटन मंत्रालय ने आवासीय ईकायों के लिए भारतीय स्थायी पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) प्रमाणन लांच किया है।

*****